न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

R5143-III/16

1— रविलाल तनय रामशरण ब्रा0

2— सुखेन्द्र कुमार तनय रविकरण ब्रा0

3— श्रीमती सुखन पत्नी रविकरण ब्रा0 सभी निवासी ग्राम धरी, थाना/तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

————निगरानीकर्तागण

बनाम

1— मनोज कुमार द्विवेदी उर्फ मोहनदास तनय रामशरण ब्रा0

2— मनीष कुमार

3— सतीष कुमार क0—02 व 03 के पिता रविकरण ब्रा0

सभी निवासी ग्राम धरी, थाना/तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

————गैरनिगरानीकर्तागण

श्री रघुवंश प्रताप सिंह एड के द्वारा आज दिनांक 15-2-16 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय प्रभारी तहसील सेमरिया/सिरमौर, जिला रीवा के राजस्व प्रकरण क0—9/अ—6/अपील/2014—15 आदेश दिनांक 07.12.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959

मान्यवर्

निगरानी के आधार निम्न हैं :—

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 5143–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश रविलाल ब्रा0 विरूद्ध मनोज कुमार द्विवेदी	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21 –11–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री रघुबंश पताप सिंह उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सेमरिया के प्रकरण कमांक 9/अ–6/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि अनावेदक मनोज कुमार द्वारा जानकारी होने के बाद भी बिलम्ब से अपील अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके संबंध में कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया। इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि अनावेदक मनोज कुमार के कोई औलाद नहीं है इस कारण उसके द्वारा अपनी इच्छा से भूमि में हिस्सा नहीं लिया था और अपना हिस्सा स्वेच्छा से छोड़ा था। इसके अतिरिक्त निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर भी विचार करने का अनुरोध किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा किए गये निवेदन के अनुकम में मेरे द्वारा निगरानी मेमो के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 7.12.15 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है उनके द्वारा मात्र प्रकरण में धारा 5 के आवेदन को स्वीकार कर प्रकरण को गुणदोष पर निराकरण हेतु ग्राह्य किया जाकर तीन बिन्दु निर्धारित कर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है। साक्ष्य हेतु निर्धारित बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश रविलाल ब्रा0 विरूद्ध मनोज कुमार द्विवेदी	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

के आक्षेपित आदेश में अंकित होने से यहां उल्लेख नहीं किया जा रहा है। प्रकरण में विचारोपरांत यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेश से किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि प्रकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जहां उभयपक्ष को अपनी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है। जहां उभयपक्ष अपना–अपना पक्ष रख सकते हैं। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखें एवं प्रकरण में गुण दोष पर निर्णय लेने हेतु अधीनस्थ न्यायालय का सहयोग करें। अतः इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 07.12.15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

सदस्य